

21/10
19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में बार-बार आवाज लगाये जाने पर भी वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञान हुआ कि पत्रावली में प्रतिवादी सं. 20 वा 23 की तरफ से काउन्टर क्लेम पेश किया गया है। प्रतिवादी सं. 20 वा 23 एवं उनके वकील भी उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली अक्रम फौजी, अक्रम राजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली केवल शुमार होकर बाद तरीक, तन्मीन दखिल हुक्म हो।

SM

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

